।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेणू मीना, आर०ए०एस०

राजस्व वाद नं०	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
1/129	22.12.2021	04.03.2022

01– राजेश गर्ग पुत्र श्री ओमप्रकाश गर्ग, आयु करीब 49 वर्ष जाति महाजन निवासी बी–93, बुद्धविहार, अलवर

02– शालिनी गर्ग पत्नी श्री राजेश गर्ग, आयु करीब 44 वर्ष जाति महाजन निवासी बी–93, बुद्धविहार, अलवर

–वादीगण

बनाम

01– उर्मिला गोयल पत्नी सुभाष गोयल निवासी अलवर

02– कमेलश पत्नी जिलेसिंह जाति बावरिया साकिन कटोरीवाला तिबारा, रायसीस तहसील व जिला अलवर

03– गायत्री पत्नी निरंजनलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी 2–ग–8 मनुमार्ग, अलवर

04– गोपीचन्द पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी जिन्दोली तहसील मुण्डावर

05– जमशेद पुत्र जोरमल जाति मेव निवासी सााकिन देह ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर

06– देशबन्धु पुत्र अमीचन्द **(मृतक)**

6/1– मुकुल गुप्ता आयु 24 वर्ष पुत्र स्व० श्री देशबंधु गुप्ता

2/2– रिया गुप्ता आयु 27 वर्ष पुत्र स्व० स्व० श्री देशबंधु गुप्ता निवासीयान पंछी पेठे के ऊपर, काशीराम का चौराहा, अलवर

07– प्रतिभा गुप्ता पत्नी देशबंधु जाति महाजन निवासी अलवर

08– पिंकीबेवी पत्नी बसन्त कुमार जाति प्रजापत निवासी अलवर

09– फूलसिंह पुत्र बनेसिंह जाति गुर्जर निवासी साकिन देह ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर

10– मंगतूराम पुत्र बनेसिंह जाति गुर्जर निवासी साकिन देह ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर

11– ममता गोयल पत्नि महेश चन्द गुप्ता जाति महाजन साकिन देह ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर

12– योगेश कुमार गुप्ता पुत्र बद्री प्रसाद गुप्ता जाति महाजन साकिन देह ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर

13– रतमीना पत्नि जमशेद जाति मेव साकिन देह ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर

14– रेशमी पत्नि महेन्द्र जाति यादव निवासी कान्हावास

15– राजवन्ती पत्नि बसन्त चौधरी जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर

16– रामगिरी पत्नी राजेन्द्र सिंह यादव जाति यादव निवासी अलवर

17– शिवानी गोयल पुत्री सुभाष गोयल निवासी अलवर

18– सुगन पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर साकिन देह ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर

19– समयदीन पुत्र मुंशी खां जाति मेव साकिन देह ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर

20– समसू पुत्र मेदसिंह जाति मेव साकिन देह ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर

21– सरोज पत्नि फूलसिंह जाति बावरिया निवासी कटोरीवाला तिबारा रायसीस तहसील व जिला अलवर

22– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) अलवर

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि खाता संख्या नया 503 आराजी खसरा नम्बर 2338 रकबा 1.15 है० वाके ग्राम तूलेडा तहसील अलवर में स्थित है। जो वादपत्र में विवादित आराजी है। वादीगण द्वारा खातेदारान कमला सेठी पत्नी जगदीश सेठी व एस.एस.यादव एच.यू.एफ. से जरिये बैयनामा दिनांक 13.06.2011 को खरीद की है जिसका इंतकाल दर्ज कर व स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया। हाल जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 के क्रम संख्या 16 पर राजेश गर्ग हिस्सा 6/115 व क्रम संख्या 18 पर शालिनी गर्ग पत्नी

सहायक कलक्टर
अलवर

राजेश गर्ग हिस्सा 6/115 अंकित है। शेष आराजी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी में अंकित है। वादग्रस्त आराजी में सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा है जो अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कराने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी का विधिक रूप से बटवारा नही हुआ है। शेष प्रतिवादीगण वादीगण को उनके हिस्से का उपयोग व उपभोग नही करने दे रहे है। शामलात में काश्त करना संभव नही है। वादीगण दिनांक 02.11.2021 को अपने हिस्से की आराजी की देखभाल करने गये तो प्रतिवादीगण ने मौके पर प्लाटिंग कर रहन, बैय हिबा की धमकी दी। प्रतिवादीगण ने तकसीम कराने से स्पष्ट रूप इंकार कर दिया। प्रतिवादीगण ने अच्छी अच्छी आराजी पर कब्जा कर प्लाटिंग कर दी तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी है। खाता संख्या नया 503 आराजी खसरा नम्बर 2338 रकबा 1.15 है० वाके ग्राम तूलेडा तहसील अलवर में वादीगण ने अच्छी में से अच्छी बुरी में बुरी आराजी मौके के अनुसार तकसीम किये जाने का निवेदन किया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन/अखबार साया से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–7 प्रतिभा की ओर से प्रवीण मित्तल एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या–3 गायत्री पत्नी निरन्जन लाल की ओर से श्री गोविन्दराम यादव ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 4 लगा० 21 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर दिनांक 31.01.2022 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 4 लगा० 21 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या–3 एवं 7 की ओर से कोई जवाब पेश नही होने पर दिनांक 31.01.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार अलवर को अहकाम जारी किया गया।

तहसीलदार अलवर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 07.02.2022 को प्राप्त हुई। कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या–3 की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी सं०–3 ने कुर्रे रिपोर्ट पर एतराज करते हुए संशोधित कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
अलवर

तहसीलदार अलवर को पुनः संशोधित कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु अहकाम जारी किया गया। तहसीलदार अलवर द्वारा पूर्व में प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 07.02.2022 को मूल ही वापस भिजवाई गई है, कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या–3 के वकील श्री गोविन्दराम यादव द्वारा आदेशिका पर अपनी सहमति अंकित की है।

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार अलवर ने पक्षकारान के मौका एवं रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी का निम्न प्रकार तकारामा किया जाना प्रस्तावित किया है:–

क्र० सं०		खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा
01–		राजेश गर्ग पुत्र ओमप्रकाश गर्ग जाति महाजन हि० 1/2 शालिनी गर्ग पत्नि राजेश गर्ग जाति महाजन हि० 1/2	2338 मि.	0.12 है०
02–	1	उर्मिला गोयल पत्नि सुभाष गोयल हि० 167/5150	2338 मि.	1.03 है०
	2	कमलेश पत्नि जिलेसिंह हि० 59/5150		
	3	गायत्री पत्नि निरंजन लाल गुप्ता हि० 39/2060		
	4	गोपीचन्द पुत्र शंकरलाल हि० 167/5150		
	5	जमशेद पुत्र जोरमल जाति मेव हि० 687/5150		
	6	देशबन्धु पुत्र अमीचन्द गुप्ता हि० 167/10300		
	7	प्रतिभा गुप्ता पत्नि देशबन्धु गुप्ता हि० 167/10300		
	8	पिंकीबेवी पत्नि बसन्त कुमार हि० 251/10300		
	9	फूलसिंह पुत्र जलसिंह हि० 14/2575		
	10	मंगतूराम पुत्र बनेसिंह हि० 28/2575		
	11	ममता गोयल पत्नि महेश चन्द हि० 49/2060		
	12	योगेश कुमार गुप्ता पुत्र बद्रीप्रसाद गुप्ता हि० 407/10300		
	13	रतमीना पत्नि जमशेद खां हि० 563/2575		
	14	रेशमी पत्नि महेन्द्र हि० 3/103		
	15	राजवन्ती पत्नि बसन्त चौधरी हि० 6/103		
	16	रामगिरी पत्नि राजेन्द्र सिंह हि० 2313/10300		
	17	शिवानी गोयल पुत्री सुभाष गोयल हि० 167/5150		
	18	सुगन पुत्र रामस्वरूप हि० 14/2575		
	19	समसू पुत्र मेदसिंह हि० 4/103		
	20	समयदीन पुत्र मुंशी खां मेव हि० 167/10300		
	21	सरोज पत्नि फूलसिंह हि० 59/5150		

प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट के संलग्न नक्शा ट्रेस में वादी संख्या 1 व 2 को बैरंग सुर्ख पीले रंग से एवं शेष प्रतिवादीगण को बैरंग सुर्ख गेरूवा से प्रदर्शित किया गया है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार अलवर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी ने भी कोई एतराज व उज्र नही किया है। तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तावित कुर्रेजात रिर्पोट से हम सहमत है, प्रस्तावित

सहायक कलक्टर
अलवर

कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी की अन्तिम पर्चा डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 2338 मि० रकबा 0.12 है० में वादी राजेश गर्ग पुत्र ओमप्रकाश गर्ग जाति महाजन एवं शालिनी गर्ग पत्नि राजेश गर्ग जाति महाजन को 1/2 – 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तदानुसार वादीगण का हाल राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में अलग नम्बर, अलग खाता कायम कर एवं अलग से लगान कायम कर अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रेणु मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति रेणू मीना RAS

उनवान

राजेश गर्ग वगै० बनाम उर्मिला गोयल वगै०

दावा बाबत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा नम्बर :– 1/129/2021
निर्णय दिनांक :– 04.03.2022

वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में वाद में आज तारीख 04.03.2022 को अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 2338 मि० रकबा 0.12 है० में वादी राजेश गर्ग पुत्र ओमप्रकाश गर्ग जाति महाजन एवं शालिनी गर्ग पत्नि राजेश गर्ग जाति महाजन को 1/2 – 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तदानुसार वादीगण का हाल राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में अलग नम्बर, अलग खाता कायम कर एवं अलग से लगान कायम कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 04.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रेणू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4........ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया